ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-7* October-2020
Anthology : The Research

पंचायती राज व्यवस्था में महिला सशक्तीकरण

Women Empowerment in Panchayati Raj System

Paper Submission: 10/10/2020, Date of Acceptance: 25/10/2020, Date of Publication: 26/10/2020

राजेश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर,
राजनीति विज्ञान विभाग,
रा0च0उ0 राजकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड, भारत

सारांश

महिला और पुरूष समान हैं, यह सिद्धान्त भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्त्तव्यों, नीति–निर्देशक सिद्धान्तों में दिया गया है। संविधान न केवल महिलाओं के लिये समानता की बात करता है बल्कि राज्य को भी इस बात का अधिकार देता है कि वह महिलाओं कि बेहतरी के लिए सकारात्मक कदम उठाए। राजनीतिक सत्ता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उसमें शामिल होने के लिये समान अवसर की दिशा में किये गये 73 वें और 74वें संशोधन के माध्यम से महिलाओं के लिए पंचायतों और नगरपालिकाओं में सीटो के आरक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि स्थानीय स्तर पर लिये जाने वाले नीतिगत फैसले में उनकी भागीदारी को ठोस आधार मिल सके। पंचायती राज के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण हुआ है और वह अपने नीतिगत फैसले लेने में सक्षम हो रही है।

Women and men are equal, this principle is given in the Preamble of the Indian Constitution, Fundamental Rights, Fundamental Duties, Policy-Directive Principles. The constitution not only talks about equality for women but also empowers the state to take positive steps for the betterment of women. Through the 73rd and 74th amendments made in the direction of equal opportunity to increase and join the participation of women in political power, the reservation of sito has been arranged for women in panchayats and municipalities so that the local level Their participation in the policy decision could be given a solid basis. Women have been empowered through Panchayati Raj and are being able to take their policy decisions.

मुख्य शब्द : महिला सशक्तीकरण, स्वतन्त्रता, आरक्षण, संविधान।
Women's Empowerment, Independence, Reservation, Constitution.

प्रस्तावना

महिला की सुदृढ़ व सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत समृद्ध तथा मजबूत समाज की द्योतक होती है। प्राचीनकाल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। मध्यकाल में इसके बाद स्वतन्त्रता प्राप्ति तक इनकी स्थिति सन्तोषजनक नहीं रही है। किन्तु स्वतन्त्रता के बाद से संविधान में किये गए अनेक प्रावधानों के कारण आज भारत की महिलाओं की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ है। लेकिन ग्रामीण महिलाओं की स्थिति अब भी सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती है।

महिला सशक्तीकरण की पहल सर्वप्रथम 1985 में नैरोबी में संपन्न अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में की गयी थी। इसके बाद विश्व के सभी भागों में इसने एक आन्दोलन का रूप ले लिया महिला सशक्तीकरण का सामान्य अर्थ है– महिला को शक्ति सम्पन्न बनाना। व्यापक अर्थ में महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य महिलाओं को पुरूषों के बराबर वैधानिक राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में निर्णय लेने की स्वायत्तता से है। पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण महिला सशक्तीकरण में उल्लेखनीय योगदान किया है। 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन को महिला सशक्तीकरण के लिये क्रान्तिकारी कदम कहा जा सकता है क्योंकि इनके द्वारा पहली बार स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया यह आरक्षण न केवल सदस्यों के स्तर पर बल्कि सरपंच प्रधान एवं जिला प्रमुखों के पदों पर भी सुनिश्चित किया गया।

पंचायतीराज के माध्यम से हुए महिला सशक्तीकरण से ग्रामीण महिलाएं अपने अधिकार के प्रति जागरूक हुई है। उनमें अन्याय और शोषण के विरूद्ध

आवाज उठाने की हिम्मत बढ़ी है। उनके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आया है। उनमें आत्मविश्वास और जोश बढ़ा है। रचनात्मक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी बढ़ी है। राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओ की भागीदारी से शासन की गुणवत्ता में भी सुधार आया है। इनकी भागीदारी नागरिक समाज की उन्नयन, खाद्य सुरक्षा, उर्जा सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, आर्थिक तथा जीविका से जुड़े मुद्दों में ज्यादा है क्योंकि इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध महिलाओं से है और ये महिला सशक्तीकरण के सशक्त माध्यम है। महिलाओं और पुरूष समान है यह सिद्धान्त भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्त्तव्यों और नीतिनिर्देशक सिद्धान्तों में दिया गया है संविधान न केवल महिलाओं की समानता की बात करता है बल्कि राज्य को भी इस बात के लिये अधिकार देता है कि वह महिलाओं की बेहतरी के लिये महिलाओं की उन्नति विकास एवं सशक्तीकरण एवं तमाम तरह की भेदभाव, महिला पुरूष समानता के लिए सकरात्मक कदम उठाए। संविधान के अनुच्छेद 14,15,16,19,21,23,39 व अनुच्छेद 40 के आधार पर पंचायतीराज संस्थाओं में 73 वें 74 वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओ के लिये राजनैतिक, आरक्षण की व्यवस्था की गई है एवं पंचायतों को एक अनिवार्य व्यवस्था के रूप में स्थापित कर दिया गया और यह भी कहा गया है कि प्रत्येक राज्य इस केन्द्रीय अधिनियम के अनुरूप अपना अधिनियम पास कर सकेगा। पंचायती राज की ग्रामीण क्षेत्र एवं वंचित (दलित)वर्ग की महिलाओं को परिवार जाति एवं समाज में उच्च स्थिति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है क्योंकि इसमे बी0पी0एल0 एवं कमजोर तपके की महिलाएँ भी निर्वाचित हो रही हैं इसलिए उनका सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक सशक्तीकरण हो रहा है। पंचायतों में सहभागिता से महिलाओं ने शिक्षा के महत्व को पहचाना है क्योंकि शिक्षा के अभाव में उन्हें इन संस्थाओं में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वे स्वयं महसूस करती है कि अगर वे शिक्षित होती, तो स्वयं इन संस्थाओं में बेहतर तरीकें से कार्य संपादन एंव सहभागिता कर पाती उनकी यह सोच ने ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया है, महिला प्रतिनिधि गरीबी, असमानता, लैंगिक भेदभाव, नशाखोरी, स्वास्थ्य, शिक्षा घरेलू हिंसा आदि मुद्दों को उठाकर ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय शासन की प्रकृति व दिशा को परिवर्तित कर रही है। वर्तमान में करीब 10 लाख महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित होकर अपनी सक्रिय सहभागिता निभा रही है। इन ग्रामीण महिलाओं में कमजोर एवं वंचित तबके की महिलाएँ भी शामिल है, क्योंकि संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है इस व्यवस्था के कारण इन वर्गों की महिलाएं इन संस्थाओं में भाग ले कर के लोकतन्त्र एवं महिला सशक्तीकरण को वास्तविक रूप में साकार कर रही है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये विभिन्न राज्य सरकारों ने एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की है।

पंचायती राज में महिला सशक्तीकरण की भूमिका को देखते हुए राजस्थान, बिहार एवं केरल सहित कुछ राज्यों ने महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है बिहार जैसे राज्यों में महिलाओं की भागीदारी पंचायती राज व्यवस्था में 60 प्रतिशत से भी ज्यादा है क्योंकि कुछ महिलाए सामान्य (पुरूषयोग्य) सीटों पर भी निर्वाचित हो रही है। 73 वें संविधान संशोधन का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को ज्यादा फायदा मिल रहा है क्योंकि ये सामान्य महिला की सीट पर भी निर्वाचित हो रही है। यह एक अच्छा प्रयास है क्योंकि इन वर्गों की महिलाएं ही समाज में ज्यादा पिछड़ी एवं शोषित रही है। वर्तमान में पंचायती राज में महिला प्रतिनिधि अकेले सार्वजनिक क्षेत्रों एवं अपने कार्यालय में जाने लगी है पुरूष प्रतिनिधियों के साथ सार्वजनिक चर्चाओं में हिस्सा लेने लगी हैं और ये सभी समाज में उसकी स्थिति पंचायती राज व्यवस्था में उसकी सहभगिता को बढ़ावा दे रहे है। महिलाओं की सहभागिता से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता एवं शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। शैक्षिक सशक्तीकरण होने से अगली पीढ़ी की महिला प्रतिनिधि शिक्षित रहेगी और पंचायत मामले को बेहतर तरीके से संभाल पाएगी। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाएं सार्वजनिक जीवन के नये अनुभवों से अवगत हो रही है।

शोध के उद्देश्य

1. क्या पंचायती राज के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है ?
2. क्या वे अपनी नीतिगत फैसले लेने में सक्षम हो रही है ?
3. क्या उनमें राजनीतिक चेतना का विकास हुआ एवं समाज में उनका आदर बढ़ा है ?
4. क्या पंचायती राज में महिलाएं सार्वजनिक जीवन के नए अनुभवों से अवगत हो रही हैं ?
5. क्या उन्हें मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में काम करने में कठिनाई हो रही है ?
6. क्या पंचायतों के माध्यम से कमजोर एवं वंचित तबके की महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है ?
7. क्या इनके परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग मिल रहा है, सहयोग, किस रूप में मिल रहा है ?

निष्कर्ष

पंचायती राज के माध्यम से हुए महिला सशक्तीकरण से महिलाएं अपने अधिकार के प्रति जागरूक हुई है उनमें अन्याय और शोषण के विरूद्ध आवाज उठाने की हिम्मत बढ़ी है उनके अन्दर आत्मविश्वास जागरूकता एवं रचनात्मक कार्यों में भागीदारी एवं समाज निर्माण में राजनीति के क्षेत्रों में निर्णय निर्माण की क्षमता का विकास हुआ है। 73 वें एवं 74 वें संविधान संशोधनों को महिला सशक्तीकरण के लिये क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *महिला सशक्तीकरण (जून 2012), योजना पृष्ठ संख्या–31 से 33*
2. *पाडये, रमेश (2012), महिलाओं के अधिकार, सुधाली पब्लिशर्स, नई दिल्ली पृष्ठ संख्या–06 से 07*

3. *भसीन, कमला (सितम्बर, 2016), भारतीय सन्दर्भ में नारी सशक्तीकरण, योजना पृष्ठ संख्या–10 से 12*
4. *जोशी, आर0पी0 मंगलानी, रूपा (2003), भारत में पंचायती राज, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ आकादमी, जयपुर 99 से 101 पृष्ठ संख्या।*
5. *कुमारी स्मिता, (2013), इक्किसवीं सदी में महिला राजनैतिकरण राजनैतिक सशक्तीकरण एवं महिला नेतृत्व की वास्तविकता, सत्यम् पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली पृष्ठ संख्या–80 से 85।*
6. *सिंहल एस. सी. (2016–17), भारतीय शासन एवं राजनीति नवरंग ऑफसेट प्रिंटर्स, आगरा पृष्ठ संख्या–30 से 35।*